हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-7-19 पत्रावली पेश हुई। रेस्पो० नं० 4,9 के वकील उपस्थित है। इनकी बहस सुनी गई। अपील के निर्णय हेतु पत्रावली दि० 17-7-19 को पेश हो।	
17-7-19 वकील उभयपक्ष उप० है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा० सं० 47 दि० 15-5-91 ग्राम सलारपुर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनकर स्व० परसादीलाल के विधिक वारिसों के नाम पुन: नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। सुनवाई हेतु पक्षकारान दि० 24-7-19 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति एवं मूल नामान्तरकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाए जावें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	मूल नामा तहसील ददाके भेजा/... 18/7/19

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

प्रकरण नम्बर तारीख रजू तारीख निर्णय

17-7-2019

16.4.2018

श्रीमती शान्तिदेवी पुत्री स्व0 प्रसादीलाल शर्मा पत्नि स्व0 सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 75 वर्ष निवासी सालारपुर तहसील गंगापुर सिटी हाल निवासी शहर सवाई माधोपुर (राजस्थान) ---अपीलार्थी

बनाम

1. ....लाल पुत्र स्व0 परसीलाल शर्मा उम्र 65 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी डाक्टर महरवाल के ऊपर, चूली गेट नं0 2 ....के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

2. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 परसीलाल शर्मा उम्र 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी सैनिक नगर, लाल मंदिर सिनेमा के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

3. ....नन्द पुत्र स्व0 परसीलाल शर्मा उम्र 61 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी डाक्टर महरवाल के ऊपर, चूली गेट नं0 2 ....के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

4. ....नन्द पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल तहसील कार्यालय के पास, लालसोट जिला दौसा

5. ....चंद शर्मा पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 51 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी शर्मा प्रोपर्टी डीलर, कमला नेहरू नगर, ...जयपुर

6. ....विनोद कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 42 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर

7. ....पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी मेठी की कोठी के सामने, चूली गेट, गंगापुर सिटी

8. सुशीला पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 43 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल नि0 मेठी की कोठी के सामने, चूली गेट, गंगापुर सिटी

9. श्रीमती कलावती बेवा स्व0 लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 60 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी मेठी की कोठी के सामने, चूली गेट, गंगापुर सिटी

10. राजू पुत्र स्व0 राधेश्याम शर्मा उम्र 46 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी श्यामनगर सोडाला, मकान नं0 ई-124 स्व0 राधेश्याम शर्मा गंगापुर सिटी वालों का मकान, जयपुर

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[illegible] सेठी पुत्र स्व0 राधेश्याम शर्मा उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी श्यामनगर सोडाला, मकान नं0 ई–124 स्व0 राधेश्याम शर्मा गंगापुर सिटी वालों का मकान, जयपुर

[illegible] बबली पुत्री स्व0 राधेश्याम शर्मा उम्र 48 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी श्यामनगर सोडाला, मकान नं0 ई–124 स्व0 राधेश्याम शर्मा गंगापुर सिटी वालों का मकान, जयपुर

[illegible] अलका पुत्री स्व0 राधेश्याम शर्मा उम्र 38 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी श्यामनगर सोडाला, मकान नं0 ई–124 स्व0 राधेश्याम शर्मा गंगापुर सिटी वालों का मकान, जयपुर

[illegible] श्रीमती सुशीला बेवा स्व0 राधेश्याम शर्मा उम्र 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सालारपुर हाल निवासी श्यामनगर सोडाला, मकान नं0 ई–124 स्व0 राधेश्याम शर्मा गंगापुर सिटी वालों का मकान, जयपुर

[illegible] ग्राम पंचायत बाढकलां जरिए सरपंच बाढकलां तहसील गंगापुर सिटी

[illegible] तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 47

दिनांक 15.5.1991 ग्राम सालारपुर

उपस्थित : श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री महेशचन्द अग्रवाल, एडवोकेट, रेस्पो0 नं0 1 की ओर से
श्री वृद्धिचन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 4, 9 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी अपील अपीलार्थी श्रीमती शांती देवी ने इस आशय की प्रस्तुत की है कि नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 15.5.1991 खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल है। योग्य अदालत मातहत सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कानूनन इस बात पर गौर नहीं किया है कि अपीलार्थी जो कि स्वर्गीय पिता परसादीलाल की पुत्री है, का भी नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक था। सजरा खानदान के अनुसार परसादीलाल के पांच पुत्र लक्ष्मीनारायण, बजरंगलाल, राधेश्याम, ओमप्रकाश, रमेशचंद, एक पुत्री शांती देवी व विधवा पत्नी सांझा देवी रहे हैं। इनमें लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसके पुत्र दीपचंद, हुकमचंद, विनोद कुमार, पुत्री रेखा, सुशीला व पत्नी श्रीमती कलावती हैं। राधेश्याम की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस उसके पुत्र राजू, सेठी, पुत्री बबली, अलका व पत्नी श्रीमती सुशीला हैं। अपीलार्थी स्व0 परसादीलाल की खास पुत्री है। योग्य अदालत मातहत ने नामान्तरकरण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

तस्दीक करते उक्त अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया है अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत मातहत ने उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुरूप उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण नहीं खोलकर कानूनी भूल की है एवं उत्तराधिकारियों की पूर्ण जांच नहीं की गई है। दिनांक 19.3.2018 को मौजूदा पटवारी हलका हिंगोट्या से खातेदारी की जानकारी करने पर अपीलार्थी को मालुम हुआ कि रेस्पोन्डेन्ट्स ने तत्कालीन पटवारी हलका बाढकलां एवं तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां से साज कर सही उत्तराधिकारियों की जांच किए बिना ही बाला बाला अपीलाधीन नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया। इसकी जानकारी अपीलार्थी को दि0 19.3.18 को होने पर दिनांक 20.3.18 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद नकल मिलने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 15.5.91 निरस्त फरमाते हुए मूल खातेदार स्व0 परसादीलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल ब्राह्मण के समस्त उत्तराधिकारियों के नाम विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम भी खोला जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलवी की गई एवं मूल नामान्तरकरण तलव किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1, 3, 4, 9 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट नं0 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल नामान्तरकरण सं0 47 दिनांक 15.5.91 ग्राम सालारपुर, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम सालारपुर व हिंगोट्या प्रस्तुत किए हैं।

रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 की ओर से नकल निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 23.11.2015, नकल वादपत्र उनवानी रमेशचन्द बनाम दीपचन्द वगैरा न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी, छायाप्रति अखियतनामा दिनांक 2.6.90, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम सालारपुर प्रस्तुत किए गए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील नामान्तरकरण के अनुसार बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी के पिता स्व0 परसादीलाल की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का जो अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया है वह

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

विधि विरूद्ध है क्योंकि इसमें अपीलार्थी को वारिस के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्टगण ने नकल वादपत्र उनवानी रमेशचन्द बनाम ... वगैरा इस अपील में प्रस्तुत की है उसमें दिए गए सजरे के अनुसार अपीलार्थी को परसादीलाल की पुत्री माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी स्व0 परसादीलाल की पुत्री होने के नाते जन्म से ही उनकी भूमि में अपना अधिकार रखती है। रेस्पोन्डेन्ट्स ने आपस में साज करके अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तस्दीक किया है जो खारिज होने योग्य है क्योंकि विधि विरूद्ध आदेश को हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी भी स्टेज पर चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में दिनांक 20.12.2005 को हुए संशोधन के अनुसार यदि खातेदार पिता सन् 2005 से पूर्व फौत हो जाता है तो पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार पिता परसादीलालजी का देहान्त सन् 1991 में ही हो चुका है जिसे दोनों ही पक्ष स्वीकार कर रहे हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को विवादित भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता हैं। अपने इस कथन के समर्थन में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2014(2) पेज 965, न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2012(1) पेज 350 उद्धत किए हैं।

रेस्पोन्डेन्ट नं0 4 व 9 के विद्वान वकील ने रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के विद्वान वकील द्वारा की गई बहस के अनुरूप तर्क देते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रेसपोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि वह स्व0 परसादीलाल की पुत्री है इस कारण उसका स्व0 परसादीलाल की भूमि में जन्म से ही अधिकार है। अपीलार्थी स्व0 परसादी लाल की पुत्री है इस तथ्य को रेस्पोन्डेन्ट्स भी स्वीकार करते हैं। स्व0 परसादीलाल का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 15.5.91 को लक्ष्मीनारायण, बजरंगलाल, रमेशचन्द, राधेश्याम, ओमप्रकाश पि0 परसादीलाल व मु0 सांझादेवी बेवा परसादीलाल ब्राह्मण के नाम खोला गया है। इस विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है जबकि वह स्व0 परसादीलाल की पुत्री है जो एक निर्विवाद तथ्य है। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण का कहना है कि जिस समय नामान्तरकरण तस्दीक हुआ हिन्दु

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों को सीमित अधिकार ही दिए हुए थे एवं पुत्री की शादी के बाद उनको कोई हक व अधिकार कानूनन पिता की सम्पत्ति में नहीं रहता है। परसादीलाल की मृत्यु से पूर्व ही अपीलार्थी की शादी हो चुकी थी इसलिए उसे तत्समय विरासत में शामिल नहीं किया गया। उसके पश्चात् वर्ष 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार यदि खातेदार पिता की वर्ष 2005 से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पुत्री को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। प्रस्तुत मामले में परसादीलाल की मृत्यु वर्ष 1991 में ही हो चुकी है इसलिए अब अपीलार्थी को उसकी भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते हैं। हम इस तथ्य से सहमत नहीं है क्योंकि जिस समय विरासत का नामान्तरकरण खोला गया था उस समय स्व0 परसादीलाल के जायज वारिसों की जांच नहीं की जाकर केवल उसके पुत्रों व पत्नि के नाम ही नामान्तरकरण खोल दिया गया जबकि अपीलार्थी जो कि उसकी पुत्री है, उसका नाम भी स्व0 परसादीलाल के जायज वारिसो में शामिल करना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी को पिता की भूमि में अधिकार प्राप्त थे परन्तु विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। यह एक विधि विरूद्ध आदेश था जिसको हितबद्ध व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति द्वारा किसी भी स्तर पर चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः हमारी राय में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 47 पर सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां द्वारा दिनांक 15.5.91 को दिया गया आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण हम इसे निरस्त करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 15.5.91 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 15.5.91 ग्राम सालारपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनकर स्व0 परसादीलाल के विधिक वारिसों के नाम पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। सुनवाई हेतु पक्षकारान दिनांक 24.7.2019 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि एवं मूल नामान्तरकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाए जावें।

निर्णय आज दिनांक 17-7-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 10:47:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: